

संख्या: १८० /८५-४१ / 2010

प्रेषक,

योगेश कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- १— समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
- २— समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—१

लखनऊ: दिनांक २९ नवम्बर, 2011

महोदय,

आप अवगत हैं कि आई०डब्ल्य०एम०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष २०१०-११ में प्रदेश के लिए आवंटित धनराशि में से १४ प्रतिशत तक की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। साथ ही इसे डी०आर०डी०ए० को लगभग डेढ़ माह पूर्व उपलब्ध भी कराया जा चुका है, परन्तु अभी भी कतिपय जनपदों से सूचना प्राप्त हो रही है कि कार्यदायी एजेन्सी को इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। उक्त स्थिति पर विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव द्वारा खेद व्यक्त किया गया है।

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अवशेष धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त कर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

महोदय,




(योगेश कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: / 2011, तददिनांक

प्रतिलिपि:-आधुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, लखनऊ/कानपुर एवं भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के समस्त उपनिदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्पेवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,



(योगेश कुमार)  
प्रमुख सचिव।